दिनांक 14.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना खेतासराय

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2025 को थाना खेतासराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0कासिफ उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुटहन पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेतासराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0कासिफ उर्फ सोनू निवासी ग्राम सेठुआपारा थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

2–01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 13.01.2025 की रात्रि थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू निवासी ग्राम टुमुर्की थाना मझिला जनपद हरदोई।

जनपद कुशीनगर/थाना चौराखास

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 97 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी का 01 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2025 को थाना चौराखास व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त बुद्धदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 97 हजार 500 रूपये नगद, चोरी का 01 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा एटीएम कार्ड चोरी कर, एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की घटना कारित की गई थी।

इस सम्बन्ध में थाना चौराखास पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बुद्धदीप निवासी ग्राम चितहाँ थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 97 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी का 01 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 24 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2025 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आबदानगर मुण्डाखेडा के पास से 04 अभियुक्तों 1–बादशाह 2–आरिफ 3–मुन्ना 4–सुरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 24 हजार रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बादशाह के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग, अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त मुन्ना के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बादशाह निवासी ग्राम सुनाई थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

2—आरिफ निवासी ग्राम सुनाई थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

3—मुन्ना निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

4—सुरेश निवासी ग्राम जुलेपुरा दोहली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी के 24 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 13/14.01.2025 की रात्रि थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जटौला नहर पुल पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—आकिब घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—आबिद 3—अकील अहमद सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 35 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आकिब के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त आबिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना छतारी पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकिब निवासी ग्राम सारसौल थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2–आबिद निवासी निशात बाग थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

3–अकील अहमद निवासी मोहल्ला भुजपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–35 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आशियाना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख रूपये नगद**
- **चोरी की पीली धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2025 को थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–ओ मानसरोवर कॉलोनी कट के पास से अभियुक्त गणेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख रूपये नगद, चोरी की पीली धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना आशियाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गणेश निवासी अवध विहार कॉलोनी सीआईपीटी सुनहरा मानसनगर लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख रूपये नगद।

2—चोरी की पीली धातु के आभूषण आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **चोरी की कार का इंजन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 13.01.2025 की रात्रि थाना टूण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बाघई मोड़ पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—जयपाल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—भजनलाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 चार पहिया वाहन, चोरी की कार का इंजन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जयपाल के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि

के 08 अभियोग व अभियुक्त भजनलाल के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टुण्डला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जयपाल निवासी सूजापुर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

2—भजनलाल निवासी नारखी कुन्दनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—01 चार पहिया वाहन।

2—चोरी की कार का इंजन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना औंछा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 21 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2025 को थाना औंछा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हीरा बम्बा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1—मोहसिन 2—साहिल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 21 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना औंछा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहसिन निवासी अरनी थाना बरला जनपद अलीगढ़।

2–साहिल निवासी ग्राम जिरौली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 21 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद जौनपुर/थाना खुटहन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2025 को थाना खुटहन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रसूलपुर के पास से 03 अभियुक्तों 1–शनि 2–अमित 3–सिकन्दर उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया गया। तीन अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुटहन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शनि निवासी खजुरन थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

2–अमित निवासी खरौना थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

3–सिकन्दर उर्फ लड्डू निवासी पिलकिछा थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल आदि।

एसटीएफ–अवैध रूप से मिलावटी चायपत्ती बनाने के कारखाने का भण्डाफोड़, लगभग 11 कुन्तल से अधिक मिलावटी कैमिकल युक्त नकली चायपत्ती बरामद।

दिनांक 14–01–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को अवैध मिलावटी चायत्ती बनाने के कारखाने का भण्डाफोड़ करते हुए लगभग 11 कुन्तल से अधिक नकली चायपत्ती बरामद करते हुए गिरोह के 01 व्यक्ति को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मोहल्ला काजी टोला कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर हालपता प्लाट नं–58 कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद–लखनऊ।

बरामदगीः–

1– मिलावटी चायपत्ती 11,209 कि0ग्रा0 (कीमत करीब 30 लाख रू0)
2– 30 कि0ग्रा0 चाय को रंगने में प्रयुक्त कलर
3– 6 पैकेट गेरू (हार्ड स्टोन पाउडर)
4– इलेक्ट्रानिक तराजू 04 अदद
5– पैकिंग मषीन 04 अदद
6– 01 गैस चूल्हा 01 अदद
7– 01 गैस सिलेण्डर
8– चाय पैक करने वाली पन्नी (गार्डेन फ्रेस) व अन्य सामग्री 100.50 कि0ग्रा0
9– 01 अद्द आधार कार्ड
10– रू0 12,500/– नगद।
11– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

दिनांक 14–01–2025 कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद–लखनऊ समय करीब 05.00 बजे।

विगत कुछ दिनों से लखनऊ एवं आस पास के जनपदों में अवैध मिलावटी नकली चाय की बिक्री होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री अवनीष्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के

पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली–मडियावां, जनपद लखनऊ क्षेत्र अर्न्तगत कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से नकली मिलावटी चायपत्ती बनाने का कारखाना संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री फैजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 सुनील मिश्रा, मु0आ0 राघवेन्द्र तिवारी, मु0आ0 चेतन सिंह, आरक्षी सुधीर कुमार चालक सुरेश कुमार की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद–लखनऊ पहुॅचकर अवैध रूप से संचालित नकली चायपत्ती बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आरिफ ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। जो अवैध रूप से मिलावटी चायपत्ती बनाकर लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में सप्लाई करता है। इस गिरोह द्वारा कैरियरों के माध्यम से आसाम से सस्ती एवं रद्दी चायपत्ती मंगाकर उसमें विभिन्न प्रकार के कैमिकल मिलाकर स्ट्रांग एवं कलरयुक्त चायपत्ती तैयार की जाती है। जिसे अलग–अलग कम्पनियों के नाम से पैकेट तैयार कराकर उसमें भरकर लखनऊ एवं आस–पास बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहॉपुर, बहराईच आदि जनपदों में सप्लाई किया जाता है। जिससे काफी मुनाफा होता है। इस नकली/मिलावटी कैमिकल युक्त चायपत्ती से मानव स्वास्थ्य पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ता है तथा मानव जीवन के लिए घातक व असुरक्षित है।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आरिफ के विरूद्ध थाना मडियावां, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 33/2025 धारा 318(2), 318(4), 274, 275 व 111 बीएनएस पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––